भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5532
दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

घरेलू हिंसा

5532. श्री सौमेंदु अधिकारी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत में सभी अपराधों में घरेलू हिंसा के मामले बढ़कर 30 प्रतिशत से अधिक हो गए हैं और यदि हां, तो वर्ष 2022 से भारत में महिलाओं पर घरेलू हिंसा, इंटिमेट पार्टनर के प्रति हिंसा (आईपीवी) और वृद्धजनों के साथ दर्ज हुई हिंसा के मामलों का राज्य-वार, वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कानूनों के अधिक शक्ति से कार्यान्वयन, बेहतर सहायता प्रणालियों और भारत के वृद्धजनों का सम्मान करने तथा विशेषकर तब जब देश में बुजुर्गों की आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है, उनकी सुरक्षा के लिए नए सिरे से सामाजिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की 'मिशन शक्ति' के अंतर्गत संकटग्रस्त महिलाओं के लिए स्थायी वृद्ध आश्रम और आश्रय गृह स्थापित करने की कोई योजना है, जिसमें 'स्वाधार गृह' (कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए आश्रय) और 'उज्ज्वला गृह' (दुर्व्यापार की रोकथाम) को मिलाकर 'शक्ति सदन' का रूप दिया गया है, जिसे कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं और अन्य विकास निधि की मदद से जिला सरकारी पर्यवेक्षकों के अधीन संचालित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) महिलाओं के प्रति अपराध सहित अन्य अपराधों के आंकड़े संकलित करता है और अपने ''क्राइम इन इंडिया'' नामक प्रकाशन में प्रकाशित करता है, जिसमें राज्य-वार और श्रेणी-वार विस्तृत आंकड़े उपलब्ध हैं और यह एनसीआरबी की आधिकारिक वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) की नवीनतम रिपोर्ट में 2019-2021 की अवधि के आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनसे पता चलता है कि 18-49 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में से जिन्होंने कभी न कभी पति द्वारा हिंसा (शारीरिक और/या लैंगिक हिंसा) का सामना किया है, उनका प्रतिशत घटकर 29.3% हो गया है, जबकि एनएफएचएस-4 में 2015-2016 की अवधि के लिए यह प्रतिशत 31.2% था।

(ख) से (घ): घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों की गारंटी को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया है, ताकि नागरिक कानून के तहत एक ऐसे उपाय का प्रावधान किया जा सके जो महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होने से बचाए और समाज में घरेलू हिंसा की घटनाओं को होने से रोके।

"पुलिस "और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून -व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा जिसमें महिलाओं तथा बच्चों के प्रति अपराध की जांच एवं अभियोजन भी शामिल है, की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है और वे मौजूदा कानूनों के प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

फिर भी, केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इसके लिए उसने कई विधायी और नीतिगत पहलें की हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005 की धारा 8 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक जिले में उतनी संख्या में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने का आदेश है, जितनी वे आवश्यक समझें और साथ ही उस क्षेत्र (क्षेत्रों) को अधिसूचित करने का भी निर्देश है, जिसमें संरक्षण अधिकारी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य है कि वह घरेलू हिंसा के मामलों की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दे एवं मजिस्ट्रेट को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करे। पीडब्ल्यूडीवीए में महिलाओं के लिए संरक्षण आदेश, निवास आदेश, अभिरक्षा आदेश, मौद्रिक राहत और मुआवजा आदेश पारित करने जैसे उपायों का प्रावधान है।

मिशन शक्ति नामक व्यापक योजना के तहत, दो वर्टीकल - संबल और सामर्थ्य के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एकीकृत सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) संबल वर्टीकल का एक घटक है जो पूरे देश में निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत और तत्काल सहायता प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सीय सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है। अब तक, देश भर में 926 वन स्टॉप

सेंटर कार्यशील हैं। 31 दिसंबर 2025 तक, ओएससी ने देश में 13.37 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है।

महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल-181) आपातकालीन और गैर-आपातकालीन दोनों स्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए चौबीसों घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है। यह हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करती है और देश भर में सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं के बारे में जानकारी देती है। महिला हेल्पलाइन 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील है और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) के साथ एकीकृत है। 28 फरवरी 2026 तक, डब्ल्यूएचएल ने देश भर में 99.09 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है।

नारी अदालत योजना ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण मंच प्रदान करती है। अदालतों को पंचायत स्तर पर संकटग्रस्त महिलाओं को घरेलू हिंसा और अन्य लिंग आधारित हिंसा से संबंधित छोटी समस्याओं को बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से सुलह कराने में मदद करने का दायित्व सौंपा गया है ताकि सुलभ न्याय सुनिश्चित हो सके।

मिशन शक्ति के सामर्थ्य वर्टीकल के अंतर्गत, शक्ति सदन को मानव दुर्व्यापार और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। इसका गठन पहले की स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजनाओं का विलय करके किया गया है। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना है, ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें। 23 मार्च 2026 तक, देश भर में 416 शक्ति सदन कार्यशील हैं।

संकटग्रस्त महिलाओं को राहत एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 22 जनवरी 2025 को मिशन शक्ति पोर्टल (https://missionshakti.wcd.gov.in/) का शुभारंभ किया। मिशन शक्ति पोर्टल का डेटा अब बहुभाषी सुविधा वाले मिशन शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध है, जिससे उपयोगकर्ताओं की पहुंच और सुविधा बढ़ी है। पोर्टल पर पीडब्लूडीवीए के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों की सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। 23.03.2026 तक, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 2,428 संरक्षण अधिकारियों का विवरण अद्यतन किया जा चुका है।
